

60

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश
क्रमांक/एफ-5/1060/2021/10-11/932 भोपाल, दिनांक 15/3/22
प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
(सामान्य) वन मंडल मन्दसौर,
मध्यप्रदेश।

विषय:- मंदसौर जिले में ग्राम कातना से बिजोलिया माता मंदिर तक मार्ग हेतु 0.72 हेक्टेयर वनभूमि महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, इकाई मन्दसौर को उपयोग पर देने बाबत। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/ROAD/142860/2020)

संदर्भ:- (1) इस कार्या. का पत्र क्र./एफ-5/1060/2021/10-11/3119 दि. 15.09.2021
(2) महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, मंदसौर, मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक/1306 दिनांक 31.10.2021

-0-

उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में इस कार्यालय द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी। संदर्भित पत्र (2) द्वारा आवेदक संस्थान ने विषयांकित प्रकरण में जारी सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजा है। पालन प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण में नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि रु0 4,50,720/- एवं 100 वृक्षों की राशि रु0 2,00,000/- ई-पोर्टल के माध्यम से भुगतान कर दी गई है तथा आवेदक संस्थान द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन भी ई-पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। साथ ही वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर मंदसौर का प्रमाण पत्र दिनांक 09.02.2022 भी पोर्टल पर अपलोड कर इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।

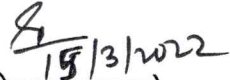
अतः सैद्धांतिक स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन के आधार पर औपचारिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 1- Legal status of the forest land shall remain unchanged.
- 2- Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency.
- 3- User agency shall restrict the no felling of trees.
- 4- The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
- 5- No labour camp shall be established on the forest land.
- 6- User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
- 7- The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

-2-

- 8- No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
- 9- The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
- 10- No work shall be done during night.
- 11- The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
- 12- Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.

उपरोक्तानुसार समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवेदक संस्थान से प्राप्त कर इस कार्यालय को ई-मेल से भेजें, इसके उपरांत प्रकरण में आवेदक संस्थान को कार्य करने की एवं क्षेत्र हस्तांतरण की अनुमति दी जावे।


(सुनील अग्रवाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)

मध्य प्रदेश, भोपाल

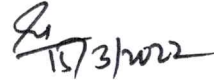
पृ. क्रमांक/एफ-5/1060/2021/10-11/933

भोपाल, दिनांक 15/3/22

प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) उज्जैन वृत्त, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
- 2- महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, मंदसौर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


15/3/22

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)

मध्य प्रदेश, भोपाल